ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण चौपाल जिला शिमला की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 8/2006 से 3/2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई0–गर्वनेन्स दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गर्वनैंस सोसाइटीयों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, चौपाल जिला शिमला की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 8/2006 से 3/2015 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2015 से 23.5.2015 के दौरान उपमण्डलाधिकारी चौपाल जिला शिमला के कार्यालय में किया गया। निधि लेखों की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया :–

वर्ष	आय	व्यय
8/2006 से 3/2007	12/2006	2/2007
2007–08	8/2007	8/2007
2008–09	12/2008	6/2008
2009/10	3/2010	3/2010
2010–11	2/2011	2/2011
2011–12	12/2011	8/2011
2012–13	4/2012	7/2012
2013–14	7/2013	9/2013
2014–15	4/2014	6/2014

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपमण्डलाधिकारी व सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, चौपाल के पद पर कार्यरत रहे :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री सन्दीप नेगी, एच0ए0एस0	22.05.2006 से 25.09.2007
2.	श्री सुनील शर्मा, एच0ए0एस0	03.10.2007 से 22.02.2008
3.	श्री गोपाल चन्द, एच0ए0एस0	25.02.2008 से 04.07.2008
4.	डा0 अशवनी शर्मा, एच0ए0एस0	10.07.2008 से 01.08.2009
5.	श्री रमेश ठाकुर, एच0ए0एस0	10.08.2009 से 20.11.2010
6.	श्री सन्दीप नेगी, एच0ए0एस0	20.11.2010 से 08.05.2012
7.	श्री कृष्ण चन्द, एच0ए0एस0	10.05.2012 से 09.02.2014
8.	श्री सी0एल0 शर्मा, एच0ए0एस0	10.02.2014 से 23.06.2014
9.	श्री नरेश कुमार, एच0ए0एस0	24.06.2014 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹) लाखों में
1	6	राजकीय कोष में राशि जमा न करवाना	2.10

2	7	आय की राशि को देरी से जमा करना	0.62
3	8	आय से सम्बन्धित अभिलेख/रसीदें अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करना	0.53
4	9	व्यय से सम्बन्धित वाउचरों को अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करना	0.42
5	10	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही अनियमित भुगतान करना	0.33

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई0–गर्वनैंस सोसायटी (आर0एल0ए0) चौपाल जिला शिमला की अवधि 8/2006 से 3/2015 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹13,000/– आंका गया। इस अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 4, दिनांक 22.5.2015 द्वारा उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चौपाल द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर दिया गया है।

(ख) वित्तीय स्थिति के शेष/रोकड़ बही के शेष तथा बैंक के शेष मे अन्तर के बारे मेंः–

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति के शेष/रोकड़ बही के शेष तथा बैंक के शेष में निम्न विवरणानुसार ₹5,765/– का अन्तर पाया गया जिसका मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i)	वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	37,009
(ii)	रोकड़ बही के अनुसार शेष	31,244
(iii)	हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक खाता संख्याः 4510109181 अनुसार शेष	31,244
(iv)	वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ बही/बैंक में जमा राशि में अन्तर	5,765

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	राशि
1	1.8.2007	रोकड़ बही के पृष्ठ–24 पर आय की ₹40,125 के स्थान पर ₹39,125 ली गई	(+) 1000
2	23.11.2007	रोकड़ बही के पृष्ठ–32 पर आय की ₹17,687 के स्थान पर ₹13,432 ली गई	(+) 4255

3	1.7.2009	रोकड़ बही के पृष्ठ–76 पर अन्तशेष की ₹1,15,722 के स्थान पर ₹1,15,732 ली गई	(–) 10
4	11.2.2011	रोकड़ बही के पृष्ठ–116 पर अन्तशेष की ₹2,09,994 के स्थान पर ₹2,09,974 ली गई	(+) 20
5	8.8.2011	रोकड़ बही के पृष्ठ–130 पर प्रारम्भिक शेष ₹1,69,652 के स्थान पर ₹1,69,152 ली गई	(+) 500
		कुल	**(+) 5765**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में ₹5,765/– का कम लेखांकन किया गया तथा इतनी ही राशि बैंक खाते में भी जमा नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 19.5.2015 द्वारा लेखा परीक्षा को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रतिउतर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार सरकारी प्राप्तियों को रोकड़ बही में कम लेखांकित करके बैंक में कम राशि जमा न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त वित्तीय अनियमितता के बारे में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित करते हुए इस राशि को शीघ्र बैंक में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

4 आय–व्यय लेखा का तुलन पत्र तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई0–गर्वनेन्स दिनांक 3.9.2005 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा वर्ष के अन्त में न तो Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुए उक्त निधि की प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न करना

ई–गर्वनैन्स सोसायटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण चौपाल द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त आय तथा व्यय की रोकड़ बही के एकल कॉलम में प्रविष्टियाँ की जा रही हैं, जिसके कारण यह ज्ञात करना कठिन है कि शीर्षवार में कितनी राशि प्राप्त/व्यय हो रही हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि शीर्षकवार (Multi Column) समेंकित रोकड़ बही तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय व व्यय को स्पष्ट रूप में दर्शाया जाए।

6 राजकीय कोष में ₹2,10,169 जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई0–गर्वनेन्स दिनांक 3.9.2005 के पैरा संख्याः 3(ए) के अनुसार "25% of all receipts collected on account of user charges shall be deposited in Head-1055-Road Transport, 800-other receipts-Misc, receipts from societies"। अर्थात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त सभी प्राप्तियों का 25 प्रतिशत भाग उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष मे जमा करवाया जाना अपेक्षित था। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 8/2006 से 31.3.2015 के दौरान परिवहन की गतिविधियों से निम्न विवरणानुसार ₹8,40,675/– सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी जिसके 25 प्रतिशत की दर से ₹2,10,169/– उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 8/2006 से 31.3.2015 के दौरान कोई भी राशि उक्त शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष मे जमा नहीं करवाई गई थी। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3, दिनांक 19.5.2015 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक ई–गर्वनैन्स सोसायटी द्वारा इस बारे में कोई भी प्रतिउतर नहीं दिया गया। अतः ₹2,10,169/– को तुरन्त उक्त वर्णित शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

वर्ष	परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के रूप में आय
2006–07	25,320
2007–08	59,040
2008–09	65,915
2009–10	1,22,310
2010–11	56,500
2011–12	1,00,990
2012–13	1,01,980
2013–14	1,21,745
2014–15	1,86,875
कुल योग	**8,40,675**
कुल योग का 25 प्रतिशत भाग, जोकि राजकोष में जमा करवाना अपेक्षित था	**2,10,169**

7 आय की ₹62,000 को देरी से जमा करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 2.4 के अनुसार, जिस दिन किसी विभाग/संस्था को आय प्राप्त होती है, उसे उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में आवश्यक रूप से बैंक/कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है, परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान ई–गर्वनैन्स सोयायटी (आर0एल0ए0)

चौपाल की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि सौसायटी द्वारा निम्न विवरणानुसार आय की ₹62,000/– को विलम्ब से रोकड़ बही में लेखांकित करने के पश्चात बैंक में जमा करवाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	मद का नाम	आय प्राप्त करने की तिथि	आय को रोकड़ बही में लेखांकित करने की तिथि	राशि
1	सारथी	18.5.2013 से 31.5.2013	4.7.2013	1,950
2	वाहन	18.5.2013 से 31.5.2013	4.7.2013	1,800
3	सारथी	1.6.2013 से 30.6.2013	18.7.2013	12,710
4	वाहन	1.6.13 से 30.6.2013	18.7.2013	2,750
5	सारथी	9/2010 से 12/2010	रोकड़ बही में 10.2.2011 को प्रविष्टि की गई	28,560
6	वाहन	9/2000 से 1222010	रोकड़ बही में 10.2.2011 को प्रविष्टि की गई	14,230
			कुल योग	**₹62,000**

इस प्रकार नियमों के विपरीत आय को विलम्ब से रोकड़ बही में लेखांकित करना तथा विलम्ब से बैंक में जमा करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय को उसी दिन रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक में आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 आय से सम्बन्धित ₹53311/– के अभिलेख/रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 12/2006, 8/2007 तथा 4/2014 के दौरान सोसाईटी की रोकड़ बही के अनुसार निम्नविवरणानुसार ₹53,311/– की आय प्राप्त हुई दर्शाई गई थी, परन्तु इस राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/रसीदें इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अंकेक्षण के दौरान सोसाईटी को इस बारे अवगत करवाया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अंकेक्षण को उक्त अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध न करवाना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	माह	राशि
1	12/2006	9,690
2	8/2007	30,186
3	11.4.2014	13,435
	योग	**53,311**

9 व्यय से सम्बन्धित ₹42,100 के वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

चयनित माह 3/2010 व 2/2011 के दौरान सोसायटी द्वारा रोकड़ बही के अनुसार निम्नविवरणानुसार ₹42,100/— का व्यय किया गया दर्शाया गया था, परन्तु व्यय की गई राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/बिल वाऊचर इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अंकेक्षण के दौरान सोसायटी को इस बारे अवगत करवाया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अंकेक्षण को उक्त अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध न करवाना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जाने सुनिश्चित किए जाए।

क्र0 सं0	माह	रोकड़ बही पृष्ठ सं0	राशि
1	3/2010	99	16,200
2.	2/2011	115	25,900
		कुल योग	**42,100**

10 औपचारिक्ताएं पूर्ण किए बिना ही ₹33536 का अनियमित भुगतान करनाः—

ई—गर्वनैन्स सोसायटी पंजीकरण, एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण चौपाल के माह 5/2007, 9/2007 तथा 11/2012 के लेखों में व्यय वाऊचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सोसायटी द्वारा निम्नलिखित फर्मों को टोनर तथा कम्पयुटर स्टेशनरी के क्रय और प्रिन्टर की मुरम्मत इत्यादि पर ₹33536/— का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 97 तथा 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिक्ताएं पूर्ण नहीं की गई थी। उक्त नियमानुसार ₹3000 से अधिक के सामान की खरीद पर या तो निविदाएं आमन्त्रित की जानी थी या क्रय समिति की संस्तुति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, परन्तु इन प्रकरणों में सामान क्रय करने से पूर्व उपरोक्त औपचारिक्ताऐं पूर्ण नहीं की थी, जोकि अनियमित है। अतः बिना औपचारिक्ताएं पूर्ण किए ₹33536/— के व्यय बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में ₹3000 से अधिक के सामान के क्रय से पूर्व उपरोक्त नियम के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिक्ताएं पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाएं।

क्र0 सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया	खरीद की गई वस्तु का नाम	राशि
1	27227	9.3.2007	हरि दास एण्ड कम्पनी शिमला—1	प्रिन्टर के लिए टोनर	5,870
2	28114	1.5.2007	हरि दास एण्ड कम्पनी शिमला—1	स्टेशनरी	3,190
3	10055	9.8.2012	इनटर्वो, निर्मल भवन प्रथम मंजिल	टोनर	21,105

			सर्कुलर रोड़ शिमला–171001		
4	5005008	8.8.2012	इनटर्वो, निर्मल भवन प्रथम मंजिल सर्कुलर रोड़ शिमला–171001	तीन प्रिन्टरों की मुरम्मत	3,371
				योग	**33536**

11 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971–खण्ड–1 के नियम 15.17 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ई–गर्वनैन्स सोसायटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, चौपाल द्वारा खरीदी गई अथवा केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त सामग्री/उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) नहीं करवाया गया था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विविध

केन्द्रीय ईकाई से समय–समय पर ई–गर्वनैन्स सोसायटी (RLA) चौपाल को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गर्वनैन्स सोसायटी (RLA) चौपाल से केन्द्रीय ईकाई को समय–समय पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 **निष्कर्ष :–** निधि लेखाओं के रख–रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)45/2015–खण्ड–1–5278–5282,दिनाकः 2.9.15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव–ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0 एल0 ए0) चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसायटी शिमला, हि0प्र0।
3. निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004
4. विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009